उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर०एम०ए० नं०-21/2019-20

अब्दुल कलाम

बनाम

मु० पुरतनीन

-: आदेश :-

दिनांक	
	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखगत कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता अब्दुल कलाम, पिता-स्व० मो० खलील मियाँ, सा०-अरानबाली (रौशनबाग), थाना-गोड्डा नगर, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर०ई०आर० केश नं०-06/2015-16 आदेश दिनांक-15.06.2019 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर०ई०आर० केश नं०-06/2015-16 के आदेश दिनांक-15.06.2019 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-शतडीहा जमाबंदी नं०-32 दाग नं०-177 रकबा 00-03-08 धुर, दाग नं०-195 रकबा 01-00-05 धुर, दाग नं०-235 रकबा 01-04-04 धुर, दाग नं०-238 रकबा 00-10-15 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मो० धनिया जोजे बिहारी मियाँ के नाम से दर्ज है। बिहारी मियाँ के मृत्यु के बाद मो० धनिया ने अपने देवर मितल मियाँ से शादी किये। मो० धनिया एवं मितल मियाँ से दो पुत्र चमरू मियां एवं जुम्मन मियां हुए। कलान्तर में चमरू मियां की मृत्यु लावल्द होने के कारण उक्त जमाबंदी की जमीन जुम्मन मियां के दखल एवं कब्जा में आया एवं जुम्मन मियां उक्त जमाबंदी जमीन का लगान भुगतान कर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे थे। जुम्मन मियां को एक पुत्र खलील मियां हुए एवं खलील मियां का एक पुत्र अब्दुल कलाम जो वर्तमान अपीलवाद के अपीलकर्त्ता है। जबकि उत्तरवादी का उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत मो० धनिया से कोई संबंध नहीं है उन्होंने जबरन उक्त जमीन को कब्जा किया हुआ था इसके दावा के संबंध में पूर्व में ही माननीय आयुक्त संथाल परगना परमंडल, दुमका के रिभेन्यू मिश अपील नं०-219/92-93 में निर्णय दिया जा चुका है एवं उक्त आदेश के द्वारा उत्तरवादी के दावा को

खारिज कर दिया गया है। लेकिन निम्न न्यायालय ने उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित करते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–भतडीहा जमाबंदी नं0–32 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मो0 धनिया जोजे बिहारी मियां के नाम से दर्ज है। मो0 धनिया की मृत्यु नावल्द हो गई थी। अपीलकर्त्ता मो0 धनिया के वंशज नहीं है। अपीलकर्त्ता के द्वारा मो0 धनिया के वंशज के आधार पर दावा किया है और उक्त भूमि को लेकर 1946 से ही मो0 धनिया के वंशज एवं अपीलकर्त्ता के बीच विवाद चल रहा है और मामला माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के समक्ष विचाराधीन है और दोनों ही पक्ष के द्वारा उक्त भूमि का देखभाल करने के लिए निबंधित दस्तावेज सं0–31 दिनांक–18.05.2011 के द्वारा उत्तरवादी को पावर ऑफ अटॉर्नी लिखा गया है। उत्तरवादी के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन नहीं किया गया है। बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जमीन का देखभाल कर रहे हैं। उसी के आलोक में निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मौजा–भतडीहा जमाबंदी नं0–32 मो0 धनिया जोजे बिहारी मियां के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी ने निबंधित मुख्तार नामा सं0–31 दिनांक–18.05.2011 के द्वारा दिये गये पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर दावा किया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द करने संबंधी कागजात वर्तमान अपील वाद में दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन का मामला प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–96/2015–16 (अब्दुल कलाम बनाम् मु0

मुस्तकीम) ने दिनांक–15.06.2019 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

07/12/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

07/12/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen
Rahul Kumar
Adv. 06.12

DB No – 211
08/12/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 16:30:01 +05:30
Location: 192.168.29.8